<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 681 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांकः – 27 / 10 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000652015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्ध

काशीराम पिता ब्रजलाल उम्र 45 वर्ष, निवासी नाहिया, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 29.04.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.10.2015 को समय करीब 03:20 बजे स्थान थाना आमला से 14 किमी. दक्षिण में ग्राम नाहिया आमला स्थित उचित मूल्य की दुकान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी गुलाब झाड़े को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत गुलाब झाड़े के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 13.10. 2015 दोपहर 3 बजे ग्राम नाहिया में उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने गया था। वह दुकान पर टोकन जमा करने का कार्य कर रहा था तभी अभियुक्त ने आकर उससे कहा कि टोकन नहीं देगा और मादरचोद की गाली देकर दो लीटर मिट्टी का तेल देने का कहकर गंदी गंदी गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने तथा टोकन जमा करने का कहने पर अभियुक्त ने उसे नीचे गिरा दिया और हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसे पैर के अंगूठे, पेट में घूसा लगा। अभियुक्त ने उसे पीठ पर भी मारा। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 555/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक

बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी गुलाब झाड़े को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर गुलाब झाड़े के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

- 5 गुलाब (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय गाली गलौच की थी। इस संबंध में साक्षी दीनानाथ (अ.सा.—2) एवं नत्थू (अ.सा.—3) ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा फरियादी को गंदी गंदी गाली गलौच दिया जाना बताया है।
- 6 साक्षी गुलाब (अ.सा.—1), दीनानाथ (अ.सा.—2) एवं नत्थू (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां

दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

गुलाब (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि फरियादी गुलाब (अ.सा.—1) ने अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 8 गुलाब (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे कॉलर पकड़कर गिरा दिया था, जमीन पर कई बार पटका था जिससे उसे छाती, पेट, पीठ और पैर में चोट आयी थी।
- 9 डॉ. मनीष (अ.सा.—5) ने दिनांक 13.10.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गुलाब का परीक्षण किये जाने पर आहत को पेट में बांयी तरफ बाहर की ओर दर्द पाया था। साक्षी ने उक्त दर्द ठोस एवं बोथरे हथियार से होना संभव बताते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री—4) का प्रमाणित किया है।
- 10 रमा मसराम (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 13. 10.2015 को पुलिस चौकी बोड़खी में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 555 / 15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) एवं दिनांक 24.10.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—3) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 गुलाब (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घ ाटना दिनांक को वह दुकान पर राशन लेने के लिए गया था। उसे दुकान के बाबूजी ने कहा कि तुम टोकन जमा कर लो नत्थू मिट्टी का तेल बांट देंगा। फिर वह टोकन जमा करने लगा तभी अभियुक्त ने कहा कि टोकन नहीं देंगे और कॉलर पकड़कर उसे गिरा दिया, हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा। अभियुक्त ने

उसे पत्थर और पाईप से मारा, कई बार जमीन पर पटका। जब उसकी भाभी निर्मला और भतीजा मोहन बचाने आये तो अभियुक्त ने उनके साथ भी मारपीट की। फिर उसके द्वारा थाने में घटना की रिपोर्ट लेख करायी गयी।

- 12 दीनानाथ (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घ ाटना के समय फरियादी गुलाब मिट्टी का तेल वितरित कर रहा था। मिट्टी के तेल पर से ही अभियुक्त काशीराम ने गुलाब के साथ मारपीट किया, उसने बीच बचाव किया था। नत्थू (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि फरियादी गुलाब मिट्टी के तेल का कूपन दे रहा था, अभियुक्त काशीराम कूपन की बात पर से फरियादी गुलाब के साथ हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा जिससे उसे चोटें आयी थी।
- 13 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा आहत को कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट भी नहीं पायी गयी है जिससे अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में गुलाब (अ.सा.—1), दीनानाथ (अ.सा.—2), नत्थू (अ.सा.—3) ने अभियुक्त द्वारा फरियादी गुलाब की हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना बताया है। गुलाब (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय टोकन जमा कर रहा था। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसे मारपीट से पेट, पीठ और पैर में चोट आयी थी तथा साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जब अभियुक्त के साथ झूमा झटकी हुई थी तो दोनों गिर गये थे। स्वतः कहा कि वह अकेला गिरा था। पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त ने उनके विरूद्ध हरिजन कल्याण थाने में शिकायत की थी। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे पत्थर और पाईप से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी।
- 15 दीनानाथ (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि ग्राम नाहिया के कुछ लोगों ने एवं अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि फरियादी गुलाब सामान कम तौलता है, तब उसने दुकान पर उसका काम बंद करा दिया था। पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह दुकान के अंदर राशन वितरण का कार्य कर रहा था जब वह बाहर आया तो अभियुक्त और फरियादी के बीच में झूमा झटकी हो रही थी। फिर उसने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया था।
- 16 नत्थू (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच कूपन के उपर से विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में झूमा झटकी हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त भी झुमा झटकी में गिर

गया था और उसने भी फरियादी की रिपोर्ट की थी।

फरियादी गुलाब (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अतिश्योक्तिपूर्ण कथन करते हुए अभियुक्त द्वारा पत्थर एवं पाईप से मारा जाना भी बताया है परंतु साक्षी प्रतिपरीक्षण में कूपन एवं मिट्टी के तेल के विवाद पर से अभियुक्त द्वारा उसकी मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। साक्षी दीनानाथ (अ.सा.—2) एवं नत्थू (अ.सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि ६ ाटना दिनांक को अभियुक्त एवं फरियादी के बीच झूमा झटकी हुई थी, उन्होंने बीच बचाव किया था। इस प्रकार साक्षी दीनानाथ एवं नत्थू के कथनों से अभियोजन का इतना समर्थन होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में विवाद हुआ था। बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य पूर्वे से रंजिश है इसलिए अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी गूलाब (अ.सा.-1), दीनानाथ (अ.सा.-2), नत्थू (अ.सा.-3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्त द्वारा शिकायत किये जाने पर फरियादी गुलाब को शासकीय मूल्य की दुकान पर से काम से निकाल दिया गया था परंतु मात्र फरियादी अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के कथन पर स्थिर है। अभियुक्त द्वारा फरियादी की मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। तब ऐसी स्थिति में रंजिश से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 13.10.2015 की समय दोपहर के 03:00 बजे की है। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही घटना के तत्काल पश्चात 06:40 बजे लेख करायी गयी है। यद्यपि आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में उसे मात्र दर्द होना पाया गया था परंतु साक्षी अभियुक्त द्वारा उसे मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। तत्काल पश्चात उसके द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी है। उसके कथनों का आंशिक समर्थन साक्षी नत्थू एवं दीनानाथ के कथनों से होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए आहत के शरीर पर कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मात्र शारीरिक पीड़ा होना भी उपहति की श्रेणी में आता है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

19 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी गुलाब (अ.सा.—1) के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक,

समय व स्थान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी गुलाब झाड़े को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत गुलाब झाड़े के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। फलतः अभियुक्त काशीराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

21 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबिक विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दिण्डत किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।
- 24 अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी है एवं घटना

में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000 / —रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकृम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 700/— रूपये आहत गुलाब पिता मौजीलाल, निवासी नाहिया थाना आमला को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)